




राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।



क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ / 2019-20 / 276

*Ch. Gopal
Jew* दिनांक : 18/9/19
ANU
3/23/19

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक बोर्ड की दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न हुई 238वीं बैठक के बिन्दु संख्या 238.12 में लिये गये निर्णय की पालना में, राजस्थान आवासन मण्डल में निर्माण कार्यों के लिए प्रभावी शक्तियों की संशोधित प्रत्यायोजन अनुसूची-2000 (Revised Schedule of Powers 2000) को निष्प्रभावी करते हुए, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा निविदाओं की स्वीकृति के अलावा, राज्य सरकार के लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियमों को एवं इनमें राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जाने वाले सभी संशोधनों सहित लागू किया जाता है।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा निविदाओं की स्वीकृति हेतु मण्डल के आदेशांक 123 दिनांक 03.11.2007 के जरिये बोर्ड, आवासन आयुक्त, कार्यसमिति एवं मण्डल अभियन्ताओं को प्रत्यायोजित नवीन शक्तियां तत्काल रूप से प्रभावी होंगी।

संलग्नः— कार्यालय आदेश क्रमांक 123
दिनांक 03.11.2007 की प्रति।

S/d/-
आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप्र आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड 1, उक्ते ३७
5. आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी-(Payment), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. कार्यालय प्रति।

✓
आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

राजस्थान आवासन मंडल जयपुर

दिनांक : ददिस / संचिव / 2007 / १२३

दिनांक : 03.11.07

कार्यालय आदेश

आवासन संपर्क विभाग-प्रभा। नगरीय निकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर्तव्याली विवरण क्रमांक-८२) नविवि-०७ दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 के बिन्दु रख्या-५ एवं ६ के अनुसारण में मण्डल में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं निविदा रखीकृति की शक्तियाँ प्रदान करने बाबत इनानुसार प्रशासनिक आदेश प्रकाशित किए जाते हैं—

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करने सम्बन्धी शावित्याँ

वर्तमान में प्रत्यायोजित शावित्याँ	नवीन प्रत्यायोजित शावित्याँ
बोर्ड 10.00 लाख	20.00 लाख
अधिकारी 5.00 करोड़	10.00 करोड़
आवासन आयुक्त 2.00 करोड़	5.00 करोड़

निविदा रखीकृति सम्बन्धी शावित्याँ

वर्तमान में प्रत्यायोजित शावित्याँ	नवीन प्रत्यायोजित शावित्याँ
बोर्ड 10.00 करोड़	20.00 करोड़ ✓
वर्षों कर्मठी 5.00 करोड़	15.00 करोड़ ✓
मुख्य अधिकारी 2.50 करोड़	5.00 करोड़ ✓
अति-मुख्य अधिकारी 1.20 करोड़	2.50 करोड़ ✓
उप आवासन आयुक्त 30.00 लाख	0.75 करोड़ ✓
आवासीय अधिकारी 10.00 लाख	0.25 करोड़ ✓

उपरोक्त सम्बन्ध में यह भी लेख है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त नवीन शावित्यों के से पूर्व सम्बन्धित मुख्य अधिकारी एवं आवासन आयुक्त सम्बन्धित पत्रावली का अनुग्रहन अध्यक्ष महोदय से उपरायक रूप से करा लेवें।

इन आदेशों को अध्यक्ष महोदय वा अनुग्रहन प्राप्त है।

संचिव २१.१.०७

प्रतिवेद रूपरूपी एवं आवासन कार्यालयी हैं—

प्रमुख निजी राजिय, आया, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

निजी राजिय-आया, आयुक्त/मुख्य अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, राज.आया.मण्डल, जयपुर।

वि. स. एवं गु. लेखाधिकारी/निविदा विधि/मुख्य राजिया प्रयन्त्रक/उप संचिव, रा. आ. ग.

अतिरिक्त मुख्य अधिकारी/अति-मुख्य अधिकारी नियोजक, राज. आया. मण्डल, ----- (राजस्थान)

आवासन आयुक्त/अधिकारी अधिग्रहण, राजस्थान आवासन मण्डल, ----- (राजस्थान)

पत्रावली।

संचिव २१.१.०७

13/X/ 2007